

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

द्वारा : वित्त विभाग

विषय:- राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

उपर्युक्त विषयक राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के आलोक में राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक एवं अनुसेवक का मरणशील पद प्रत्यर्पित करते हुए नियत वेतन पर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। उक्त संकल्प में विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया, अर्हता, सेवाशर्त, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि निर्धारित की गई है। नवसृजित 6421 पदों पर भी विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 के अनुरूप ही संगत कार्रवाई की जाएगी।

3. राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गई है। उक्त विद्यालयों हेतु 6421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है। इन विद्यालयों के प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक का पद सृजित करते हुए नियत वेतन पर नियोजन किया जाय, ताकि विद्यालयों के गैर शैक्षणिक कार्यों को सामान्य रूप से संचालित किया जा सके।

4. राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात् कुल 6421 विद्यालय सहायक का पद प्रतिमाह 16,500/- (सोलह हजार पाँच सौ) रुपये के नियत मानदेय एवं 500/- (पाँच सौ) रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि पर सृजित किया गया है। सृजित पदों पर आवश्यकतानुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21.08.2020 में निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप किया जायेगा। जिन विद्यालयों के लिए 6421 पदों का सृजन किया गया है उससे संबंधित जिलावार संख्यात्मक सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है।

5. जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक के पदों को विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध करायेगें।
6. उक्त नियत वेतन पर 6421 सृजित पदों पर नियोजित/नियुक्त होने वाले विद्यालय सहायकों का भुगतान संगत शीर्षों से किया जायेगा।
7. प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक-24.07.2024 को आहूत बैठक में सहमति प्राप्त है।
8. उक्त पद सृजन पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक-10.09.2024 की बैठक में मद संख्या-44 के रूप में सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अमित कुमार पुष्पक)

उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक : 11/मु०-09-163/2019 (अंश).2336 पटना, दिनांक.23/09/2024
प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार।


ज्ञापांक : 11/मु०-09-163/2019 (अंश).2336 पटना, दिनांक.23/09/2024
प्रतिलिपि :- सभी निदेशक, शिक्षा विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना/सभी जिला नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव/आई०टी०मैनेजर शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Am 1
23/9/24
उप सचिव,

शिक्षा विभाग, बिहार।

अनुलग्नक-1

राज्य में अवस्थित नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची		
क्र०सं०	जिला का नाम	नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या
1	पटना	210
2	नालन्दा	149
3	भोजपुर	147
4	बक्सर	88
5	रोहतास	166
6	कैमूर	121
7	गया	258
8	जहानाबाद	59
9	अरवल	33
10	नवादा	142
11	औरंगाबाद	140
12	मुजफ्फरपुर	305
13	सीतामढ़ी	184
14	शिवहर	44
15	वैशाली	232
16	पूर्वी चम्पारण	341
17	पश्चिमी चम्पारण	277
18	सारण	240
19	सिवान	226
20	गोपालगंज	185
21	दरभंगा	268
22	मधुबनी	296
23	समस्तीपुर	318
24	सहरसा	121
25	सुपौल	144
26	मधेपुरा	131
27	पूर्णिया	208
28	अररिया	186
29	किशनगंज	117
30	कटिहार	202
31	भागलपुर	174
32	बाँका	130
33	मुर्गेर	65
34	शेखपुरा	36
35	लखीसराय	75
36	जमुई	130
37	खगड़िया	96
38	बेगूसराय	177
	कुल	6421


 (अमित कुमार पुष्पक)
 उप सचिव, शिक्षा विभाग।